(9)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– अपील सख्या 137/14. तारीख रजु 23.12.2014

उनवान

बाबूलाल पुत्र झंवर उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी मंडाखेड़ा पोस्ट खेड़िया तहसील मासलपुर जिला करौली। – अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर, तहसील मासलपुर, जिला करौली। – रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 28.08.2014 न्यायालय तहसीलदार मासलपुर मुकदमा नंबर 106/2014 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल अंतर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट के विरूद्व तहत धारा 75 एल. आर. एक्ट।

निर्णय

दिनांक 20.09.2017.

वकील अपीलान्ट ने यह अपील, तहसीलदार मासलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2014 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय तहसीलदार मासलपुर का निर्णय जैर अपील दिनांक 28.08.2014 विधिविरुद्व तरीके से मनमाने तौर पर पारित किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध्य साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मासलपुर द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्व दिनांक 18.08.2014 को बिना किसी साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। मात्र पटवारी हल्का की एक झूंठी रिपोर्ट के आधार पर तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जो निर्णय जैर अपील दिनांक 28.08.2014 निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का किसी भी सरकारी सिवायचक भूमि पर पाटौर, दीवान बनी हुई नहीं है। अपीलाण्ट अपने बाबा के समय से आबादी भूमि पुश्तैनी भूमि में निवास करता चला आ रहा है। ना ही अपीलाण्ट द्वारा कोई सरकारी सिवायचक भूमि पर बाजरा या चांठी चलाई गई ना कोई कब्जा किया गया ना ही वर्तमान में अपीलाण्ट का कोई सरकारी सिवायचक भूमि पर कब्जा है। अपीलाण्ट इस बाबत् शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अपीलाण्ट गरीब मजदूर काश्तकार पेशा आदमी है। छोटे–छोटे बाल बच्चे हैं। मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से परिवार का जीवन यापन करता है। अपीलाण्ट को निर्णय दिनांक 28.08.2014 की दिनांक 15.12.2014 को पटवारी हल्का द्वारा कहने पर नकल आदेश की नकल दिनांक 15.12.2014 को नकल प्रार्थना पत्र लगाने पर नकल दिनांक 17.12.2014 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई। तब अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय में पेश की है जिसके साथ धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत कर दिनांक 28.08.2014 से दिनांक 15.12.2014 के मध्य की अवधि को क्षम्य करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट का विवादित आराजी खसरा नं. 96 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा

जिला कलक्टर
करौली

किस्म चारागाह भूमि बाके ग्राम मंडाखेड़ा तहसील मासलपुर पर कोई कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। मौके पर जमीन खाली है। पटवारी हल्का ने झूंठी रिपोर्ट पेश की है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलाण्ट ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा हटा लेना व भूमि खाली होना कथन किया है जिसके संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट खसरा नं. 96 की तलब नहीं की है जबकि अपीलाण्ट के जबाव के बाद मौका रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरुद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जावे और पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नंबर 96 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा किस्म चारागाह भूमि बाके ग्राम मंडाखेडा तहसील मासलपुर पर फसल बाजरा तिली काश्त कर कब्जा कर रखा है। अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस व तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी खसरा नं. 96 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा किस्म चारागाह भूमि बाके ग्राम मंडाखेड़ा तहसील मासलपुर पर अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का मंडाखेड़ा तहसील मासलपुर ने अतिक्रमण की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसी रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयान को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की जबावदेही को अनदेखा कर अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास एवं 94 रुपये शास्ति आरोपित कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28.08.2014 को पारित किया गया है। अपीलान्ट का तर्क न्याय संगत हैं कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाव के तहत अतिक्रमित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं कराया गया है ना ही मौका रिपोर्ट तलब की गई है जिससे अपीलाण्ट का भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं, यह बिन्दु स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किया जाना और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड की जाती है कि यदि अपीलाण्ट ने वास्तव में मौके से अतिक्रमण हटा लिया है एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत् लिखित में शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि वह भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 28.08.2014 अपास्त रहेगा अन्यथा तहसीलदार मासलपुर का अपीलाधीन उक्त आदेश यथावत् रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली